विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में **"झारखण्ड में भूमि का अर्जन और अलगाव"**, पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व एवं मुद्रांक और निबंधन फीस से संबंधित आठ कंडिकायें सम्मिलित है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 886.47 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2017-18 के कर एवं कर-भिन्न राजस्व का 4.39 प्रतिशत है। उपरोक्त में से, संबंधित विभागों ने ₹ 331.47 करोड़ (अवलोकनों का 37.39 प्रतिशत) के अवलोकनों को स्वीकार किया। कुछ प्रमुख निष्कर्षों के सार नीचे दिये गये हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2017-18 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 52,756.03 करोड़ थी। राज्य सरकार ने कुल ₹ 20,200.11 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 38.29 प्रतिशत) का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 32,555.92 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 61.71 प्रतिशत) जिसमें विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा ₹ 21,143.63 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 40.08 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान ₹ 11,412.29 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 21.63 प्रतिशत) थी। 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व में 7.11 प्रतिशत की कमी आयी, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में 46.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(कंडिका 1.2)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर और राज्य उत्पाद शुल्क की बकाया राजस्व राशि 31 मार्च 2018 तक ₹ 6,355.57 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 1,824.43 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी।

(कंडिका 1.3)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 95.01 करोड़ के छुट, रियायत या इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत समायोजन के अस्वीकृत दावों पर कर का अधिरोपण किया। तथापि, ₹ 10.45 करोड़ के ब्याज़ का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3)

कर निर्धारण प्राधिकारी ने क्रय आवर्त छिपाये जाने के कारण दो व्यवसायियों के आवर्त को बढ़ाया एवं ₹ 2.25 करोड़ का अतिरिक्त कर अधिरोपित किया, परन्तु ₹ 3.93 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

(कंडिका 2.4)

III. वाहनों पर कर

माँग पत्र निर्गत नहीं होने और कमजोर आंतरिक नियंत्रणों के कारण 5,068 प्रमादी वाहनों से ₹ 15.48 करोड़ के कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.3)

राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों के प्राधिकरण की आवधिक समीक्षा करने के तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप प्राधिकरण का नवीकरण नहीं हुआ और विलंब अर्थदण्ड सहित समेकित/प्राधिकरण शुल्क ₹ 2.38 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.4)

IV. अन्य कर प्राप्तियाँ

भू-राजस्व

"झारखण्ड में भूमि का अर्जन और अलगाव" पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सम्मिलित हैं:

- झारखण्ड कोषागार संहिता और झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2015 के साथ-साथ विभाग के विरोधाभासी निर्देशों के परिणामस्वरूप अधियाची निकायों से प्राप्त धनराशि को सिविल डिपोजिट में रखने के बजाय बैंकों में जमा किया गया। भूमि अर्जन के लिये प्राप्त राशि ₹ 1,494.39 करोड़ बैंक खातों में 31 मार्च 2018 तक चयनित जिलों में पड़े थे।

  (कंडिका 4.2.7.1)

- भूमि अर्जन से संबंधित धनराशि प्रत्येक जिले में एक बैंक खाते में और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दो बैंक खातों में रखे जाने संबंधि सरकार द्वारा जारी आदेशों के बाद भी नौ चयनित कार्यालयों में अनुमेय संख्या 18 के विरुद्ध 104 बैंक खाते, 31 मार्च 2018 को चालू थे। तदन्तर, 287 अवसरों पर कुल ₹ 1,255.80 करोड़ को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित करने के कारण और उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृती अभिलेखों में नहीं था। इसके अलावा, चयनित कार्यालयों में, 31 मार्च 2018 तक रोकड़ पंजी और बैंक खातों के बीच अंतर की शेष राशि ₹ 121.71 करोड़ का समाशोधन नहीं किया गया था।

  (कंडिका 4.2.7.2 एवं 4.2.7.3)

- अर्जित ब्याज जमा करने के प्रावधानों के अभाव के अलावा अभिलेखों के अनियमित संधारण के फलस्वरूप ₹ 42.77 करोड़ ब्याज का लेखांकन/प्रेषण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.2.7.5)

- तीन भूमि अर्जन मामलों में ₹ 84.01 करोड़ कम प्राप्ति के बावजूद भूमि अर्जन के लिये अधिघोषणा प्रकाशित की गयी थी और दो मामलों में अधियाची निकायों को भूमि पर दखल-कब्जा दिया गया था।

(कंडिका 4.2.8.3)

- 54 भूमि अर्जन मामलों में मुआवजे की गणना के लिये गलत दिशा-निर्देशों, भूमि का गलत वर्गीकरण और भूमि के बाजार मूल्य के गलत अनुप्रयोग के कारण पंचाट, स्थापना और आकस्मिक प्रभार ₹ 368.94 करोड़ का अधिक गणना किया जाना।

(कंडिका 4.2.8.4)

- पंचाट की रकम से आयकर की अनियमित कटौती, आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिये अतिरिक्त मुआवजे की गणना नहीं किया जाना एवं विभागीय निर्देश के अनुसार पंचाट का पुनरीक्षण न करने के कारण ₹ 101.36 करोड़ मुआवजा का कम गणना/भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.2.8.5)

- चार परियोजनाओं में वाणिज्यिक के बजाय कृषि भूमि मान कर भूमि के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण सलामी, लगान और उपकर ₹ 181.98 करोड़ की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग अधियाची निकाय द्वारा भूमि की अपेक्षित उपयोग के आधार पर भूमि की दर को निर्दिष्ट करते हुए सलामी के निर्धारण के लिये राज्यादेश निर्गत करने पर विचार कर सकता है।

(कंडिका 4.2.9.3)

- 114 मामलों में ₹ 83.46 करोड़ के सरकारी राजस्व का नहीं/कम वसूली एवं भूमि अलगाव के 69 मामलों में ₹ 64.10 करोड़ की वसूली विलंब से हुई।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग सलामी, लगान और उपकर के भुगतान में विलंब के लिये अर्थदण्ड लगाने के प्रावधानों पर विचार कर सकती है।

(कंडिका 4.2.9.4)

मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

10 जिला अवर-निबंधक कार्यालयों में स्वीकृत खनन योजनाओं के आधार पर औसत वार्षिक रॉयल्टी की सत्यापन सुनिश्चित कर पट्टों का निबंधन करने में विफलता के कारण दस्तावेजों का गलत मूल्यांकन हुआ एवं इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस ₹ 12.43 करोड़ का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 4.6)

सत्यापन नियंत्रण और अधिसूचना में अस्पष्टता के कारण दोहरे लाभार्थियों को पता लगाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ मुद्रांक शुल्क एवं निबधन फ़ीस का अल्पारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि विभाग इन विलेखों के लिये विशिष्ट पहचान आवंटित करने पर विचार कर सकती है। आगे, विशिष्ट क्षेत्रों को निर्धारित किया जा सकता है और छूट के लिये दुबारा प्रयास के मामलों में निबंधन प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिये ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को संशोधित किया जा सकता है।

(कंडिका 4.7)

राज्य उत्पाद

न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप पाँच उत्पाद जिलों में 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान 132 दूकानदारों द्वारा शराब का कम उठाव के कारण ₹ 2.86 करोड़ के उत्पाद शुल्क की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 4.10)